42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1873—एक/12 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—04—2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1167/अपील/2006—07.

.....

1—राजराम विश्वकर्मा तनय स्व0 मंगल विश्वकर्मा
2—रामसूरत विश्वकर्मा तनय स्व0 मंगल विश्वकर्मा
निवासीगण ग्राम मैढोली तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—गिरवरधारी यादव तनय श्री रामखेलावन यादव
2—रामदीन यादव तनय श्री राखेलावन यादव
3—मु0 जयरजुआ पत्नी श्री रामखेलावन यादव
निवासीगण ग्राम मैढोली तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री चितेन्द्र पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामाश्रय शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 20—04—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है किइस प्रकरण की विवादित भूमि अनावेदकगण के कब्जे दखल व स्वामित्व की है । आवेदकगण के पिता एवं पति द्वारा ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष नीलामी में वर्ष 1966–67 में प्लाट नं0 33 खसरा नं0 44 जुज रकबा 5.00 एकड़ रूपये 18200/–जमा कर उस पर मालिकाना हक प्राप्त किया था जो आज तक कायम है तथा भूमि उत्तराधिकार में आवेदकगण को प्राप्त हुई है उत्तरवादीगण ने आराजी नं0 116 रकबा 1.50 एकड का भूमिस्वामी स्वतः को बताकर उक्त भूमि से अनावेदकगण को बेदखल किये जाने का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय ने आवेदकगण को कब्जा दिये जाने का आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 9.7.07 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील जो उनके द्वारा दिनांक 20.4.12 स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक अमिलिया को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है कि वह उत्तरवादीगण को वापस कब्जा दखल दिलायें। अपीलार्थीगण ने दस्तावेज सूची दिनांक 18.1.07 के जरिये कार्यालय तहसीलदार तहसील गोपद वनास द्वारा 1966–67 में जारी रसीद की फोटो कॉपी अपीलाधीन प्रकरण में प्रस्तुत की गई जो पूरी तरह से अस्पष्ट है तथा नीलामी में भूमि प्राप्त करने संबंधी कोई तथ्य रसीद के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है अपीलार्थीगण द्वारा नीलामी में प्राप्त भूमि कौन सी है तथा उससे निर्मित हाल आराजी नंबर कौन सी है अथवा बेदखली शुदा भूमि उससे बनी है ऐसा कोई भी तथ्य अपीलाधीन प्रकरण में प्रमाणित नहीं है ऐसी परिस्थति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपर आयुक्त द्वारा विधि के विपरीत माना है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे दखल व स्वामित्व की भूमियां है अपीलार्थी के पिता एवं पति ने तहसील गोपद वनास के

समक्ष नीलामी में वर्ष 1966–67 प्लाट नं0 33 खसरा नं0 44 जुज रकबा 5.00 एकड़ रूपये 18200/–जमा कर उस पर मालिकाना हक प्राप्त किया था जो आज तक कायम है तथा भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

4– प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 1966–67 में उक्त भूमि स्वत्व आधिपत्य का अधिकार तहसीलदार गोपद वनास द्वारा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया गया जबकि आवेदक द्वारा इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। तत्समय वर्ष 1966–67 प्रकरण कमांक 3/अ–19/1966–67 के आधार से गिरबरधारी लाल के पिता द्वारा भूमि 18,200/– में कय किया गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.4.12 स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1167/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 20.4.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर